43

1967 का बिहार का अकाल

बिहार में 1967 में भयानक अकाल पड़ा। उस समय गुजरात से कितनी ही महिलाएँ गया नगर में आकर सहायता का कार्य करने में लग गयीं। कोलकाता की मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी देश की ऐसी विपत्तियों के समय सहायता के कार्यों के लिए विख्यात थी। उससे मेरा प्रारंभ से ही निकट का संबंध था। मेरे कोलकाता के कितने ही मित्र उससे संबंधित थे। पुरुषोत्तमजी केजरीवाल, नथमलजी केड़िया, सीतारामजी केड़िया, रामेश्वरजी टाँटिया आदि मेरे मित्र समय-समय पर उसके पदाधिकारी भी रहे हैं। 1967 में सीतारामजी केड़िया उसके प्रधानमंत्री थे। उन्होंने गया जिले में राहत के कार्यों के लिए मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी की ओर से एक लाख रुपये, ड्राइवर समेत एक जीप और एक वैतनिक कार्यकर्ता गया भेजकर मुझे उसका कार्य सँभालने को कहा। मैं ऐसे सेवाकार्य से मुँह कैसे मोड़ सकता था! मैंने 3-4 महीनों का अपना सारा समय उस कार्य में लगा दिया। जिले में दूर-दूर जाकर आवश्यकतानुसार स्थान-स्थान पर मैंनें मुफ्त भोजनालयों की व्यवस्था की जिनमें दोनों समय लोगों को खिचड़ी खिलायी जाती थी। प्रत्येक ऐसे मुफ्त भोजन-गृह में 400-500 स्त्रीपुरुष दोनों समय भोजन पाते थे। मैंने ऐसी व्यवस्था की थी कि किसी को निराश न लौटना पड़े। जितने व्यक्तियों की उपस्थिति होती थी उसी अनुपात में प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था रहती थी।

इस सेवाकार्य के लिए मैं भोजनोपरांत जीप द्वारा दूर-दूर के गाँवों का भ्रमण करता था और लोगों के आवश्यकतानुसार मुफ्त भोजनगृहों की व्यवस्था करता था। बीच-बीच में कोलकाता से कपड़े की गाँठे मँगवा कर मैं गाँवों में धोती-साड़ियाँ भी वितरित करता था।

सबसे दयनीय अवस्था पशुओं की थी जो चारे के अभाव में मूक खड़े रहकर तिल-तिल मृत्यु की ओर सरक रहे थे। उनके लिए पंजाब और हरियाना से चारे के वैगन मँगा-मँगाकर मैं गाँवों में वितरित करता था। इस संकट के समय, निकट से देखने पर मैंने पाया कि प्रत्येक बड़े भूमिपति के पास भूमिरहित अपने मजदूरों की टोली रहती थी जिसे वे कमिया कहते थे। प्रत्येक भूमिपति अपने कमिया-समूह को जीवित रखना चाहता था क्योंकि वही उसके हाथ-पाँव थे और मवेशियों की तरह अकाल का संकट समाप्त होने पर भविष्य की खेती की आशा थे। यदि अकाल से उनके कमिया भूख-प्यास से व्याकुल होकर कहीं और चले जाते या बिखर जाते तो उनकी जमीन भविष्य में, वर्षा

की सुविधा होने के बाद भी, अनजोती रह जाती। इसलिए गाँवों में जहाँ भी मैं जाता, अपने-अपने कमिया-समूह को खिलाने के लिये मुझसे मुफ्त भोजन-गृहों की स्थापना करवाने के लिए भूमिपतियों में होड़ मच जाती थी। इस संबंध में में मेरे साधन विशाल होने पर भी सीमित ही थे। इतना अवश्य है कि वह कार्य, जो मैं कर रहा था, उसे यदि सरकार की ओर से किया जाता, तो मेरे द्वारा खर्च की गयी रकम से चौगुनी रकम खर्च करके भी नहीं करवाया जा सकता था।

मैंने इस कार्य में यह भी अनुभव किया कि हरिजन और निम्नवर्ग के मजदूर, जो भूमिपतियों के कमिया थे और जिनके पास अपनी कोई स्थायी भूमि नहीं रहने से जो अपने भू-स्वामी को छोड़ नहीं सकते थे, उनके अतिरिक्त, भूमिरहित तथा जीविका के साधन से वंचित गाँव के उच्चवर्ग के ब्राह्मणों के परिवारों की भी बड़ी दयनीय दशा थी। वे न तो कोई छोटा काम कर सकते थे, न उन्हें सरकार की ओर से ही कोई सहायता मिल सकती थी। वे अपनी हीनदशा खोलकर बता भी नहीं सकते थे। उनका रहन-सहन भी व्ययसाध्य था। ऐसी अवस्था में, उनकी दशा भी भूमि-रहित कमिया लोगों से विशेष अच्छी नहीं थी। इस पर तुर्रा यह कि उन्हें सभ्य समाज एवं बड़े लोगों के बीच में रहने के कारण उसी प्रकार का खान-पान और वैसी ही वेश-भूषा भी रखनी पड़ती थी।

पता लगने पर ऐसे परिवारों के लिये वस्त्र और अन्य प्रकार की सहायता की मैं विशेष व्यवस्था करता था।

मैंने भूमिहीन कमिया मजदूरों की दशा देखकर यह भी अनुभव किया कि उनकी दशा तब तक नहीं सुधर सकती जब तक उनका अपनी भूमि पर स्थायी अधिकार नहीं होगा और उनके पास जीवन-यापन के लिए भूमि नहीं होगी। इस दृष्टि से आचार्य विनोबा भावे का, जिनका मैं परम भक्त था, कार्य मुझे अत्यंत मानवतापूर्ण और आवश्यक लगा। इस विवरण को लिखने के बाद अब विनोबाजी का कथन 'करुणा, कानून या कत्ल, किसी तरह से भी भूमिहीनों की समस्या हल होकर रहेगी, प्रत्यक्ष होता दिख रहा है। कम-से-कम, बिहार में, जहाँ भूमिपति और भूमिहीनों का संघर्ष जातीयता का रूप लेकर हिंसक हो गया है, ऐसी ही स्थिति होती जा रही है और करुणा तथा कानून के बाद कत्ल की स्थिति पर पहुँच गयी है।

इस संबंध में मैंने ऐसा भी अनुभव किया कि ऐसे तामसिक वृत्ति के लोग भी संसार मे मिल ही जाते हैं जो अकाल की ऐसी दशा में भी इससे कुछ लाभ कमा लेना चाहते हैं। इसका एक उदाहरण तो मैंने तब देखा जब मैं चारे के लिए धमदि में मिले, हरियाना से भेजे जानेवाले पशुओं के चारे की प्रतीक्षा कर रहा था और बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करने पर भी जब वह नहीं आया तो जाँच करने पर अंत में मुझे पता चला कि किसीने मँहगा चारा बेचकर पैसे कमाने के लालच से मेरी ओर से तार भेजकर उन्हें चारा भेजने को मना कर दिया था।